# महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:विधि/लाईट्स/5/2019/ 8412 – 55 दिनांक 15-5-201

1. अधीक्षक/उपाधीक्षक मुख्यालय कारागार जयपुर
2. लेखाधिकारी मुख्यालय कारागार जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान,
4. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर,
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
6. महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर

विषय:–लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों का निरस्तारण करने बाबत।
प्रसंग:–राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.14(4)गृह–12/कारा/2016 पार्ट दिनांक 25.4.2019 एवं गृह (ग्रुप–1) विभाग से प्राप्त अ.शा.टीप क्रमांक प.4(7)गृह–1/2015 पार्ट दिनांक 23.4.2019 एवं न्याय विभाग का पत्रांक प.2(3)सामान्य/न्याय/2016 दिनांक 14.2.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में दिनांक 23.04.2019 को संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग की ओर से श्रीमान डी.एल.आर. साहब उपस्थित हुए। बैठक में 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों की टाईटल वाईज सूचना तथा दिनांक 01.08.2017 के बाद के प्रकरणों को LITES की SITE पर ही अपलोड़ कराने के निर्देश दिये है।

**अतः आपके कार्यालय से संबंधित लम्बित प्रकरणों का प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथासमय लाईटस वेबसाइट पर अपडेशन/वेलीडेशन करावें एवं दिनांक 01.08.2017 के बाद के न्यायिक प्रकरणों को LITES की SITE पर अपलोड कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें** ताकि वांछित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सके।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विक्रम सिंह कर्णावत)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:–

1. शासन उप सचिव, गृह(ग्रुप–12) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियॉं प्रेषित कर लेख है कि अपनी रेंज के अधीन समस्त कारागृह/कार्यालय प्रभारियों को उक्त निर्देशों की पालना करने हेतु पाबंद करने का श्रम करावें। संलग्न:–उपरोक्तानुसार
3. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की आवश्यक कार्यवाही करावें। संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

# महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:विधि/लाईट्स/5/2019/ 8412-55 दिनांक 15-5-2019

1. अधीक्षक/उपाधीक्षक मुख्यालय कारागार जयपुर
2. लेखाधिकारी मुख्यालय कारागार जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान,
4. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर,
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
6. महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर

विषय:-लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों का निरस्तारण करने बाबत।
प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्र क्रमांक प.14(4)गृह-12/कारा/2016 पार्ट दिनांक 25.4.2019 एवं गृह (ग्रुप-1) विभाग से प्राप्त अ.शा.टीप क्रमांक प.4(7)गृह-1/2015 पार्ट दिनांक 23.4.2019 एवं न्याय विभाग का पत्रांक प.2(3)सामान्य/न्याय/2016 दिनांक 14.2.2019

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में दिनांक 23.04.2019 को संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग की ओर से श्रीमान डी.एल.आर. साहब उपस्थित हुए। बैठक में 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों की टाईटल वाईज सूचना तथा दिनांक 01.08.2017 के बाद के प्रकरणों को LITES की SITE पर ही अपलोड़ कराने के निर्देश दिये है।

**अतः आपके कार्यालय से संबंधित लम्बित प्रकरणों का प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथासमय लाईटस वेबसाइट पर अपडेशन/वेलीडेशन करावें एवं दिनांक 01.08.2017 के बाद के न्यायिक प्रकरणों को LITES की SITE पर अपलोड कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें** ताकि वांछित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सके।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विक्रम सिंह कर्णावत)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, गृह(ग्रुप-12) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर/जोधपुर/उदयपुर को प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियॉ प्रेषित कर लेख है कि अपनी रेंज के अधीन समस्त कारागृह/कार्यालय प्रभारियों को उक्त निर्देशों की पालना करने हेतु पाबंद करने का' श्रम करावें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार
3. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की आवश्यक कार्यवाही करावें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

**राजस्थान सरकार**
**गृह (ग्रुप–12) विभाग**

क्रमांकः प.14(4)गृह–12 / कारा / 2016 पार्ट                    जयपुर, दिनांक : 25 APR 2019

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गृह (ग्रुप–1) विभाग से प्राप्त अशा. टीप क्रमांक प.4(7)गृह–1 / 2015 पार्ट दिनांक 23.04.2019 एवं न्याय विभाग के पत्र क्रमांक प.2(2)सामान्य / न्याय / 2016 दिनांक 14.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

**(शंकर सिंह मनोहर)**
सहायक शासन सचिव,

Date 26 APR 2019
Director General
Prisons Rajasthan Jaipur

Office Address- Room No. 1117, Main Building, Secretariat, Jaipur, Rajasthan-302005
Telepohe No. 0141-2385590 Fax No. 0141- 2227388 E-mail Id- dshomejail@gmail.com

Ajay/letter/2014

(12)

# राजस्थान सरकार
## गृह (ग्रुप–1) विभाग

गृह(ग्रुप-12/जेल) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 2483
दिनांक 24/04/19

विषयः–लाईट्स सॉफ्टवेयर में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने बाबत्।

सन्दर्भः–न्याय विभाग के पत्र क्रमांक प.2(3)बैठक/न्याय/2016 दिनांक 15.03.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन हैं कि दिनांक 23.04.2018 को संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग के कक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. 20 वर्ष से अधिक के लम्बित प्रकरणों की Title Wise सूचना जो दिनांक 14.02.2019 के Latter में Format दिया गया हैं, उसमें दिया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा प्रकरण वार सूचनाओं की समीक्षा की जावें। (प्रति सलंग्न)
2. दिनांक 01.08.2017 के बाद के प्रकरणों को LITES की Site पर ही अपलोड किया जावे। पृथक से पत्रावलियां खोलने की आवश्यकता नही हैं।

अतः तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा आगामी बैठक से पूर्व निम्नहस्ताक्षरकर्ता को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देश प्रदान कर अनुगृहीत करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार

(पुंकेश शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

24/4/19

24/4/19

**विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग**
**विशिष्ठ शासन सचिव गृह (गृह रक्षा) विभाग**
**शासन उप सचिव (कारागार) विभाग।**

अशा.टीप क्रमांक : प. 4(7)गृह–1/2015पार्ट
जयपुर, दिनांक 23 APR 2019

(13)

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(2) सामान्य/न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 14.02.2019

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/
शासन सचिव।

विषयः- 20 वर्ष से अधिक लम्बित न्यायिक प्रकरणों की सूची उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक विभागों के लम्बित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने से यह दृष्टिगोचर होता है कि 20 वर्ष से अधिक लम्बित न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में हुई प्रगति आशानुरूप नहीं है।

उक्त वर्णन के पृष्ठभूमि मे आपसे अनुरोध है कि संलग्न परिशिष्ट में आपके विभाग (जिसमें विभागाध्यक्ष व प्रशासनिक विभाग के स्तर के उक्त रूप से लम्बित न्यायिक प्रकरण शामिल हैं) से सम्बन्धित सूचना इन्द्राज कर इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में उक्त प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करने हेतु नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\P. 2(2) LITES-Gen Files

स्मरण पत्र तृतीय

# राजस्थान सरकार
## न्याय विभाग

क्रमांकः प. 3(1) विविध/न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 23-4-19

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः–विभिन्न निर्णयो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति इत्यादि की प्रतियां प्रेषित करने के स्थान पर उन्हें वेबसाईट पर इन्द्राज/अद्यतन करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.12.16 एवं 24.03.17 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के प्रभारी–अधिकारी के नियुक्ति आदेश, अवमानना प्रकरण, नोटिस (Notice to show cause), निर्णयों की सूचनाओं की प्रतियां व अन्य सूचनाओं की प्रतियां (Hard copy) न्याय विभाग को प्रेषित की जा रही हैं, जबकि इन्हे न्याय विभाग की वेबसाईट www.lites.law.rajasthan.gov.in पर संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा अपने स्तर पर ही On-line इन्द्राज/अद्यतन (Entry/updation) किया जाना है, इसके बावजूद उपरोक्त प्रतियां (Hard copy) न्याय विभाग को प्रेषित की जा रही है जो कि समय, संसाधन व श्रम का दुरूपयोग है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें, कि भविष्य में उक्त सूचनाएँ न्याय विभाग को प्रेषित न की जाकर उन्हें न्याय विभाग की वेबसाईट पर इन्द्राज/अद्यतन करने का कार्य ही किया जाये।

विधि-शासन

भवदीय

अतिरिक्त मुख्य सचिव

24/4.

D:\SO\3(1) Miscellaneous\Justice\2016

24/4/19

Formate for Court Case Pending from more than 20 years

| S. No. | Case Registration Date | Case No/Year/ Abbrivation | Court Name & Place | Petitioner / Appellant V/s Non- Petitioner / Respondent | Name of Lawyer | Name of OIC | Present Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |